

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

रीडर/2025/9807  
प्रार्थी

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

दिनांक - 16.12.25

बनाम

अप्रार्थीगण

खूमाराम पुत्र वेहनाराम  
जाति कुम्हार (प्रजापति)  
निवासी सखरोडा चौखला  
तहसील बाटाडू जिला  
बाड़मेर।

1 मोडाराम पुत्र विशनाराम 2 गोधूराम पुत्र वेहनाराम 3 जोगाराम 4  
बालाराम पिसरान हरजीराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी  
सखरोडा चौखला 5 रायमल राम 6 लाखाराम पिसरान गिरधारी  
राम 7 मूलाराम पुत्र गेनाराम जाति जाट निवासी भीमडा, तहसील  
बाटाडू जिला बाड़मेर 8 तहसील बाटाडू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-82/2025

दिनांक- 09/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा सखरोडा पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा  
संख्या 127/53 रकबा 7.6855 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व  
प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992  
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे  
एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक-

16.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/9808-9811

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी चौखला तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर  
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खूमाराम पुत्र वेहनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सखरोडा चौखला तहसील बाटाडू  
जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण मोडाराम पुत्र विशनाराम वगैराह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सखरोडा चौखला तहसील  
बाटाडू जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर